

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(16)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक / 3-02-25

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत कॉलम सं02 में वर्णित न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु कॉलम सं0 3 में वर्णित अभियोजकों को कॉलम सं0 4 में वर्णित पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 21,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

| क्र.सं0 | न्यायालय | नाम अभियोजक | पदनाम |
|---------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | अपर जिला एवं सेशन न्यायालय सं01 राजगढ़ जिला चूरू | श्री सुनिल कुमार (आर/ 1206/ 03) | अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं01 राजगढ़ जिला चूरू |
| 2 | अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, तारानगर जिला चूरू | श्री पंकज कुमार स्वामी (आर/ 521/ 11) | अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, तारानगर जिला चूरू |

निम्नांकित अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है:-

| क्र.सं0 | नाम अभिभाषक | पद नाम |
|---------|-------------------------|--|
| 1 | श्री राकेश कुमार संभवान | अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं01 राजगढ़ जिला चूरू |
| 2 | श्री सुभाषचन्द्र | अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, तारानगर जिला चूरू |


आज्ञा से

३०
(ब्रजेन्द्र जैन)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री गहोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री गहोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शारान सचिव/ शारान सचिव, विधि।
- 5 गहाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता, गहाधिवक्ता, जयपुर/ जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय गुदणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 एनालिस्ट कम प्रोग्राम, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।


 (महेश पुनेठा) 13 Feb 25
 विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(16)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक 13-2-25

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18)

व राजस्थान लॉ. एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैन्युअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत विशिष्ट न्यायालय पोक्सो, चूरू में राज्य पक्ष की ओर से पैरवी करने हेतु श्री राकेश कुमार, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं 0 आर/881/98) को विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, चूरू के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।


श्री वरुण सैनी, विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो, चूरू को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

आज्ञा से


(ब्रजेन्द्र जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मथ अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रकाशनार्थ।
- 13 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम विधि(वादकरण) विभाग।
- 14 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि किंवा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 15 रक्षित पत्रावली।


(महेश पुनेठा) 13 फरवरी
विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण